जिला सहकारी बैंक के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रगति रिपोर्ट निबन्धक, सहकारिता विभाग से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

- योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों की त्रैमासिक प्रगति सूचना जनपदवार अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। त्रैमासिक समीक्षा के उपरान्त ही राजकीय अंश की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- मुख्यालय/जिला/विकास खण्ड स्तर पर अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य करायी जाने वाली सहायता का भुगतान बजट में निहित लेखाशीर्षक के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

मात्र 2% ब्याज पर किसानों को ऋण

किसानों की आय को दोगुना करने हेतु

जुड़ें सहकारिता आन्दोलन से

मिस्ड कॉल करें

और

सहकारी समिति

के सदस्य बनें

मिस्ड कॉल नं० :

9759 500 500

/ukcoopin /ukcoopin

www.ukcoop.in

Printed by : KK Stationers # 8126592408

उत्तराखण्ड सरकार

: हमारा संकल्प :
खुशहाल किसान, खुशहाल प्रदेश

सहकार से रोज़गार

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
माननीय मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड सरकार

डॉ. धन सिंह रावत
माननीय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)
सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास
एवं प्रोटोकॉल

दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना

सहकारिता विभाग उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार

दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना

- इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों के सदस्यों को रू0 1.00 लाख तक का ऋण दिया जायेगा, जिस पर 02 प्रतिशत ब्याज की दर देय होगी।
- योजना के अन्तर्गत लघु/सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को ही ऋण स्वीकृत किया जायेगा, और उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- लघु/सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों एवं उनके परिवार के एक सदस्य को ही उक्त योजना का लाभ दिया जायेगा।
- कृषि से सम्बन्धित समस्त सैक्टर यथा हॉर्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, पशुपालन, जड़ी–बूटी, सगन्ध पादप, डेरी, मत्स्य, मशरूम इत्यादि के अन्तर्गत ऋण की अधिकतम सीमा रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) रूपये होगी, और लाभार्थी को एक बार ही उक्त व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
- लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बी0पी0एल0 परिवार का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/घोषित ऐजेन्सी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र/मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा।
- योजना का लाभ सहकारी बकायेदार सदस्यों को नहीं दिया जायेगा।
- योजना सहकारी समितियों/जिला सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से वितरित ऋणों पर ही प्रभावी होगी।
- योजना का लाभ लाभार्थी को डी0बी0टी0 (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) योजना का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रदान किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत ऋण वितरण का लक्ष्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राविधानित बजट के सापेक्ष ही निर्धारित किया जायेगा।
- यदि पात्र लभार्थी को उक्त योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किया जाता है और वह अपने ऋण का भुगतान निर्धारित तिथि पर नहीं कर पाता है, तो उस सदस्य को योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा और उससे चालू सामान्य दर के अनुसार वसूली की जायेगी।
- कृषकों द्वारा समय से ऋण अदायगी किये जाने पर ब्याज अनुदान की मांग त्रैमासिक आधार पर सहकारी समिति स्तर से, सहायक विकास अधिकारी (सह0)/शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 तथा जिला स्तर पर जिला सहायक निबन्धक/सचिव महाप्रबन्धक के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 को प्रेषित की जायेगी। तथा प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक, लि0, हल्द्वानी, नैनीताल से सूचना संकलित करते हुए निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के स्तर पर इस योजना के अन्तर्गत ब्याज की प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त योजना के अन्तर्गत जनपदवार बजट निर्धारण निबन्धक स्तर से किया जायेगा तथा प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में कृषकों को ऋण वितरण समानुपातिक रूप से किया जायेगा, जिससे योजना का लाभ विकास खण्ड स्तर पर समुचित रूप से मिल सके।
- योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किये गये लाभार्थी द्वारा किये जा रहे व्यवसाय एवं उनकी आर्थिक स्थिति में हुयी प्रगति का विवरण जिला सहायक निबन्धक एवं महाप्रबन्धक